कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.02.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-33 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शम्भू खटीक पुत्र श्याम लाल खटीक निवासी ग्राम पुरवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 111/23, 02. मुसई पुत्र भगवानदीन कोरी निवासी ग्राम बेहला मौजा किशुनदासपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0स0 112/2023, 03. पिंगल पुत्र टिल्लू निवासी ग्राम किशुनदासपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 113/2023, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती बुधना पत्नी चन्दर निवासी माझा रायपुर थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 91/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. चिन्ताराम पुत्र भोले नि0 सोनभरिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 52/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.02.2023

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त विनोद कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 328 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विनोद कुमार पुत्र बाबूराम निवासी दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 88/2023 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोंडा

बरामदगी-

01. 1 किलो 328 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

उ0नि0 चंद्रशेखर प्रकाश सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.02.2023

चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 अदद बैट्री व अवैध तमंचा बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर चोरी करने के आरोपी अभियुक्तगण- 01. अनिल 02. सूबेदार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद चोरी की बैट्री व 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कराकर अभियुक्त के विरूद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अनिल पुत्र स्वामीनाथ निवासी हरसिंहपुर थाना कोतवाली करनैलगंज जनपद गोंडा।
02. सूबेदार पुत्र रक्षाराम निवासी हरसिंहपुर थाना कोतवाली करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 88/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 93/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 अदद चोरी की बैट्री।
02. 01 अदद अवैध तमंचा12 बोर व 01 अदद कारतूस

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 25.02.2023

थाना उमरीबेगमगंज के अन्तर्गत गैगं दुष्कर्म करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तारः-

दिनांक 24.02.2023 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के रहने वाली एक महिला द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 23.02.2023 को मै अकेली घर के किचन में काम कर रही थी तभी विपक्षी शेषनारायन व बृजबहादुर तिवारी घर में घुसकर बारी बारी से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। वादिनी की तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में आरोपी अभियुक्तो की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी थी।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.02.2023 को सुरागरसी-पतारसी कर मुखबिर खास की सूचना पर आरोपी अभियुक्तगण 01. शेषनारायन व 02. बृजबिहारी तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शेषनारायन पुत्र बृजबहादुर तिवारी निवासी गंभौरा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोंडा।
02. बृजबिहारी तिवारी पुत्र बाबू तिवारी निवासी गंभौरा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0-68/23, धारा 452, 376डी, 506 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीमः-

थानाध्यक्ष संजीव वर्मा मय टीम।